न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 07/2023 विभागीय अपील

आदेश

दिनांक 11/12/2023

अपीलार्थीः- **श्रीमती रेखा कंवर, पटवारी सीदडियास, महुआकलां, तहसील व जिला भीलवाडा।**

प्रत्यर्थीः- **उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)**

अपील अंतर्गत नियम -23 सीसीए रूल्स-1958 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2022 अंतर्गत नियम-17 राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया जाकर जिला भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया है, जो दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर से जिला भीलवाड़ा क्षेत्र की स्थानांतरित हस्तगत पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को दर्ज की गई।

उक्त प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती रेखा कंवर, पटवारी सीदडियास, महुआकलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 अंतर्गत विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की जाकर ज्ञापन दिया जाकर निम्न आरोप आरोपित किये गये (अपीलीय निर्णय अनुसार) :-

<u>आरोप-1</u> यह कि आप श्रीमती रेखा कंवर, पटवारी सीदडियास, महुआकलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा के पद पर रहते हुए ग्राम आकोला के कुल 13 एवं ग्राम सीदडियास के कुल 3 नामांतरकरण को 45 दिनों से अधिक लम्बित रख कर समय पर निस्तारण नहीं किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है, जिसके लिए आप दोषी है।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा ने पत्रावली पर आरोपित कर्मचारी (अपीलार्थीया) के कथन, उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन व विचार पश्चात्

आदेश दिनांक 17.02.2022 से अपीलार्थीया को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा-23 राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से संबंधित अभिलेख मय टिप्पणी प्राप्त किया गया। अपीलार्थीया को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया दिनांक 20.11.2023 को अपीलार्थीया स्वंय उपस्थित हुई, जिस पर अपीलार्थीया के पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित नामांतरकरणों में अधिकांशतः बैंको द्वारा आराजी को रहन मुक्त किये जाने के सबंध में तथा कतिपय नामांतरकरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर है। प्रार्थीया ने जब नामांतरकरण भरकर जांच के लिए गिरदावर को पेश किये तो उन्होंने नवीन आदेश संलग्न कर उसके साथ पेश करने का आदेश दिया। इस आदेश की अनुपालना में पुनः बैंको से रहन मुक्ति का आदेश मंगवाया गया एवं इसके बाद नामांककरण जांच हेतु पेश किया इस कारण नामांतरकरण 45 दिनों बाद लम्बित रहे है, जिसमें प्रार्थीया की काई गलती नहीं है एवं प्रार्थीया निर्दोष है। अतः उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा दिये गये दण्ड को निरस्त करने की महत्ती कृपा करावें।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अपील पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 17.02.2022 को विधि सम्मत होने का अंकन किया और अपीलार्थीया के प्रस्तुत कथनों को अस्वीकार कर अपील निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थीया की अपील, अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों, प्राप्त प्रत्युत्तर, अपीलार्थीया के कथनों तथा पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया। अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अंतर्गत अरोप पत्र जारी किये गये है । अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोपित शास्ति निरस्त करने के कारणों की ओर निम्नहस्ताक्षकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया, जिस पर मनन किया गया। यह प्रकट होता है कि अपचारी एक राज्य कर्मचारी होने के नाते अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन अति सजगता एवं जिम्मेदारी से किये जाने की अपेक्षा की जाती है, किन्तु अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने पदीय कार्य में लापरवाही बरती गई, जिससे ग्राम आकोला के कुल 13 एवं ग्राम सीदडियास के कुल 3 नामांतरकरण को 45 दिनों से अधिक लम्बित रख कर समय पर निस्तारण नहीं किये जाने के कारण

अपचारी कर्मचारी दोषी पाया गया, वे तथ्य जिनके आधार पर आदेश दिया गया था, सिद्ध किये जा चुके है एवं सिद्ध तथ्यों के आधार पर नियम-14(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शास्ति के अनुरूप आदेश देने के लिए पर्याप्त औचित्य है। उक्त परिस्थितियों एवं प्रस्तुत तथ्यों पर मनन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय कार्य के प्रति उदासिनता बरती गई है, किन्तु पटवारी संवर्ग को दिये गये कार्यो की अधिकता, अतिरिक्त पटवार मण्डलों के प्रभार, अन्य राजकीय योजना संबंधी कार्य तथा नेटवर्क संबंधित समस्याओं की संभावना इत्यादि के दृष्टिगत उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा दिनांक 17.02.2022 को पारित आदेश से एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से अपीलार्थी द्वारा की गई गलती से अधिक दण्ड दिया जाना प्रतित होता है।

अतः अपील अपीलार्थीया आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 17.02.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की बजाय अपीलार्थीया को **परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा एवं अपीलार्थीया को प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर